1

अत्यावश्यक
डाक/ई-मेल

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितिय तल विकास खण्ड सचिवालय जयपुर -302005)

क्रमांक- प1(29)(2) रानिआ/लेखा/बजट/2014-15/3759 दिनांकः 5/9/14

प्रेषक-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति-

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) समस्त

विषयः- नगर निकाय/पंचायत चुनाव की बजट मदों से व्यय करने सम्बन्धी सामान्य दिशा निर्देश।

महोदय,

महालेखाकार, राजस्थान जयपुर के निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा आन्तरिक जॉच प्रतिवेदनों में लिये गये आक्षेपों की समीक्षा के दौरान् पाई गई विभिन्न प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के माह नवम्बर 2014 तथा जनवरी 2015 में सम्पन्न कराये जाने वाले नगर निकाय एवं पंचायत आम चुनाव की बजट मदों से व्यय हेतु निम्नानुसार सामान्य दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

(अ) स्टेशनरी/मतदान सामग्री का क्रय

1. **जिन 24 जिला निर्वाचन कार्यालयों में नवम्बर 2014 में नगरनिकाय चुनाव होने हैं, वहां नगरनिकाय 2014 व पंचायत चुनाव 2015 की सामग्री/सेवाओं की कुल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये एकजाई निविदा दरें प्राप्त की जावें। निविदा आमंत्रण में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।**

   सामग्री की प्राप्ति व निर्गमन हेतु नियमानुसार रिकार्ड संधारित किया जावे। व्यवस्था/सामग्री क्रय हेतु लिखित आदेश जारी किये जावें एवं निविदा के अनुबन्ध सम्पादित करावें। विशेष परिस्थितियों में लिखित आदेश जारी नहीं किये जा सकें तो क्रय के तुरन्त पश्चात् की गई व्यवस्था का अनुमोदन क्रय समिति के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जावे, तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में अनावश्यक सामग्री का क्रय नहीं किया जावे।

2. चुनाव के दौरान् टैन्ट, माइक एवं विद्युत व्यवस्था पर व्यय सामग्री के वास्तविक उपयोग दिवस के लिए ही किया जावे (निविदा शर्तो में अंकित करें) उपयोगहीन दिवसों के लिए सामग्री का प्रमाणन एवं भुगतान नहीं किया जावे। कीमती फर्नीचर, सजावटी पर्दे, कारपेट, एवं कालीन आदि का उपयोग नहीं किया जावे।

3. **निविदा शर्तों/अनुमोदित मदों की प्रतियॉ व्यवस्था प्रभारियों को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जावें एवं भुगतान से पूर्व प्रस्तुत बिलों की जॉच सम्बधित प्रभारी अधिकारी से कराई जावे।**

26/8

4. **चुनाव के दौरान् किराये पर ली जाने वाली सामग्री यथा टैन्ट, माईक, विद्युत, गैस तथा बैरिकेडिंग इत्यादि के भौतिक सत्यापन हेतु किसी अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जावे उक्त कमेटी में लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ अभियन्ता तथा लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को शामिल किया जावे। यह कमेटी व्यवस्था के विभिन्न स्थानों पर व्यक्तिशः जाकर किराये पर प्राप्त की गई सामग्री की मात्रा तथा उपयोग दिवसों का भौतिक रूप से सत्यापन कर वांछित पंजिका का संधारण करेगी। उक्त समिति उप जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में /व्यवस्था प्रभारी से सामंजस्य स्थापित करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही संपादित करेगी। बिलों के भुगतान से पूर्व उक्त कमेटी की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखा जावे।**

5. **विडियोग्राफी तथा डिजीटल कैमरा फोटोग्राफी आयोग द्वारा निर्देशित दिवसों के लिए ही काम में लिया जावे।**

6. **नाम निर्देशन प्रस्तुत करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी/ई.आर.ओ. कार्यालयों पर की जाने वाली बेरीकेडिंग, प्रशिक्षण स्थलों, मतदान व मतगणना केन्द्रों की बेरीकेटिंग के अतिरिक्त अन्य स्थलों/नगर की सड़कों पर कानून व्यवस्था हेतु की गई बेरीकेटिंग का भुगतान चुनाव फण्ड से नहीं किया जावे।**

7. स्टॉक एवं प्रमाणन की प्रविष्टी बिल पर आवश्यक रूप से अंकित की जावे।

8. कार्यालय उपयोग के लिए जारी की जाने वाली सामग्री नियमानुसार ईन्डेंड प्राप्त कर जारी की जावे। चुनाव के पश्चात् शेष सामग्री को स्टोर में वापस जमा किया जावे।

9. स्थाई प्रकृति/सौंदर्यकरण की सामग्री चुनाव फण्ड से क्रय नहीं की जावे।

10. चुनाव फण्ड से किसी भी प्रकार की मरम्मत/नवीन निर्माण कार्य आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावे।

11. **चुनाव के दौरान् डाक आदि लाने ले जाने हेतु RSRTC से कैम्प बैग की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी अतः अधिक मात्रा में डाक स्टाम्प क्रय नहीं किये जावें।**

(ब) यात्रा भत्ता भुगतान

1. रिर्जव मतदान/मतगणना दल, वास्तविक मतदान/मतगणना दलों के 10% तक की सीमा में ही रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. चुनाव कार्य हेतु जिला मुख्यालय से बाहर के कार्मिकों को अधिक लम्बें समय तक दैनिक भत्ता भुगतान की शर्त पर नहीं रखा जावे।
3. मतदाता सूची की तैयारी में लगे प्रगणकों को अत्यावश्यक यात्रा(अधिकतम तीन यात्रा) हेतु ही नियमानुसार यात्रा भत्ता भुगतान किया जावे। सामान्य स्टॉफ को तीन दिवस से अधिक यात्रा भत्ते के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त की जावे।

(स) पी.ओ.एल/वाहन किराया भुगतान

1. जहां तक सम्भव हो नगर निकाय/ पंचायत आम चुनाव के लिए नियुक्त जोनल/एरिया मजिस्ट्रेट को सरकारी/निगमों/बोर्डों से अधिग्रहित वाहन उपलब्ध कराया जावे। विशेष परिस्थिति व सरकारी वाहनों की अनुपलब्धता पर ही प्राईवेट वाहनों का अधिग्रहण किया जावे। अनावश्यक व अधिक मात्रा में वाहनों का अधिग्रहण नहीं किया जावे। अधिग्रहित किये गये वाहनों को रवानगी दिवस से मात्र

26/8

एक दिन पूर्व रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया जावे तथा मतदान के बाद पार्टी के पहुंचने के पश्चात् अधिग्रहित वाहन को अतिशीघ्र मुक्त किया जावे।

2. चुनाव के लिए कुल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ही प्राईवेट /सरकारी वाहनों का अधिग्रहण किया जावे। मतदान दलों के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों के अधिकतम 10% तक ही वाहन रिर्जव में रखे जावें। रिर्जव वाहनों को कार्य समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मुक्त किया जावे।

3. **एक ही रूट के मतदान केन्द्रों पर जाने वाले मतदान दलों की ग्रुपिंग इस प्रकार की जावे कि कम से कम वाहनों की आवश्यकता पड़े।**

4. नगर निकाय/पंचायत चुनाव के दौरान् उपयोग में लिये जाने वाले जिला पूल के वाहनों की लघु मरम्मत पर रू. 2500/– प्रति वाहन से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जावे। चुनाव अवधि से पूर्व/पश्चात किये गये भुगतान अनियमित हैं। **वाहन के टायर ट्यूब, बेट्री, कुशन वर्क, पर्दे व ऐसेसरीज लघु मरम्मत की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं।**

5. **नगरनिकाय चुनाव की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस वाहनों को पी. ओ. एल./ वाहन किराया तथा मरम्मत आदि पर व्यय, चुनाव फण्ड से देय नहीं हैं।**

6. कलक्ट्री कार्यालय व पूल के वाहन जो सामान्य कार्यालय के उपयोग हेतु लिये जाते हैं, उनका पी.ओ.एल. चुनाव फण्ड से वहन नहीं किया जावे। चुनाव हेतु उपयोग किये जाने वाले कलक्ट्री/पूल के वाहनों को चुनाव उपयोग में लेने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जावे।

7. पी.ओ.एल. के कूपन अधिकृत कार्मिकों को ही जारी किये जावें एवं पी.ओ.एल. वितरण के लिए समुचित अभिलेखों का संधारण किया जावे।

8. **वाहन किराया/पी.ओ.एल. के बिल अधिकतम एक माह के भीतर प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित् की जावे।**

(द) अन्य सामान्य निर्देश :–

1. **आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों के सर्किट हॉउस/होटल/लॉज में ठहरने के दौरान् भोजन/अल्पाहार तथा कमरे का किराया स्वयं के द्वारा (दैनिक भत्ते से) वहन किये जायेंगे। अतः उक्त व्यवस्था पर चुनाव फण्ड से किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जावे।**

2. **नगर निकाय/पंचायत चुनाव से पूर्व/पश्चात के असंबद्ध बिलों का भुगतान चुनाव फण्ड से नहीं किया जावे।**

3. आयोग द्वारा स्वीकृत अस्थाई दूरभाष मात्र स्वीकृत अवधि व स्थानों पर ही स्थापित किये जावें, चुनाव के दौरान् लिए गये दूरभाषों का भुगतान समय पर करना सुनिश्चित् करें।

4. आयोग द्वारा स्वीकृत दूरभाषों के अतिरिक्त कलक्ट्री/ई.आर.ओ./तहसील कार्यालय व अधिकारियों के घरों पर पूर्व में ही स्थाई रूप से स्थापित दूरभाषों का भुगतान चुनाव फण्ड से नहीं किया जावे। आयोग की स्वीकृति के अतिरिक्त जिन दूरभाषों

का भुगतान चुनाव फण्ड से वहन किया जाना आवश्यक है, उसकी स्वीकृति (निर्धारित अवधि हेतु) राज्य निर्वाचन आयोग से आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

5. कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को अल्पाहार एवं चाय नाश्ते आदि की व्यवस्था चुनाव मद से नहीं की जावें। **केवल मतगणना के दौरान् मतगणना स्थल परिसर के भीतर नियुक्त पुलिस कर्मियों को ही चुनाव मद से अल्पाहार की व्यवस्था की जावे।**

6. पुलिस/सुरक्षा दलों के ठहरने के स्थानों की टैण्ट/विद्युत व्यवस्था चुनाव फण्ड से नहीं की जावे। **किन्तु पुलिस अधिकारियों को चुनाव प्रकिया एवं आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की समस्त व्यवस्थाओं का व्यय जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव मद से किया जा सकेगा।**

7. **चुनाव के समय मतदान दलों/मतगणना दलों/जोनल मजिस्ट्रेट आदि के प्रशिक्षण/रवानगी व मतगणना आदि का कार्य यथा संभव राजकीय कार्यालयों/भवनों से ही किया जावे।**

8. **सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की प्रदत्त शक्तियों/बजट सीमा के बाहर एवं आवश्यकता से अधिक मात्रा में ए.सी. बिलों का आहरण नहीं किया जावे। ए.सी. बिलो के डी.सी.बिल निर्धारित समय (एक माह) के भीतर कोष कार्यालय के माध्यम से महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किये जावें एवं प्रेषित किये गये डी. सी. बिल के मुख्य तथा पृष्ठ भाग की छायाप्रति राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।**

9. चुनावों के दौरान् भारी मात्रा में अस्थायी अग्रिम नहीं दिया जावे एवं दिये गये अग्रिम का समायोजन नियमानुसार चार सप्ताह में अनिवार्य रूप से करावें। निर्धारित अवधि के पश्चात् समायोजन की स्थिति में नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जावे।

10. विभिन्न चुनाव कार्यो हेतु अन्य विभागों/कार्मिकों को दिये गये अग्रिम के संबंध में कार्य समाप्ति के तुरन्त पश्चात्, व्यय का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जावे।

11. रोकड बही का नियमानुसार संघारण, सत्यापन, आकस्मिक जॉच की जावे एवं रोकड़ बही में अधिक मात्रा व अधिक समय तक राशि अवितरित नहीं रखी जावे।

12. चुनाव अवधि के दौरान् आहरित की जाने वाली राशि डबल लॉक में पूर्ण सुरक्षा के साथ रखी जावे ताकि चोरी इत्यादि के मामलों से बचा सके।

13. **नगरनिकाय एवं पंचायत चुनाव के समस्त व्यय का भुगतान चुनाव सम्पन्न होने के एक माह के भीतर करना सुनिश्चित् करें। चुनाव सम्पन्न होने के एक माह पश्चात् किसी भी दायित्व/व्यय का भुगतान करना संभव नहीं होगा। फोटोस्टेट बिलों का भुगतान नियमानुसार निविदा प्राप्त किये जाने के आधार पर ही किया जावे। निविदा आवश्यकता के आधार पर ई.आर.ओ. स्तर पर भी की जावे एवं फोटोस्टेट कराने की प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित् करें, कि किसने किस विषय की फोटो प्रति कराई है। अधिकृत व्यक्ति की Slip से ही फोटो प्रति कराई जॉए। इस कर्य हेतु जिले में तथा नगरपालिका क्षेत्र में 3–4 लोगों को अधिकृ[illegible] करना उचित होगा।**

14. आयोग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

15. लोकसभा/विधानसभा चुनाव के शेष दायित्वों का भुगतान नगरपालिका/पंचायत बजट से नहीं किया जावे।

16. चुनाव में प्राप्त राजस्व को अविलम्ब राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित् करावें।

17. निर्वाचन सम्बंधी मदवार व्यय रिर्पोट संलग्न प्रपत्र में प्रति पखवाड़े आयोग को Online/Hard Copy के भी माध्यम से सूचना प्रेषित की जावे।

जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से चुनाव के व्यय के संबंध में उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त दिशा निर्देशों को चुनाव की विभिन्न व्यवस्थाओ में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ध्यान में भी लाया जावे।

संलग्न - 01

26/8/14

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक– प1(29)(2) रानिआ/लेखा/बजट/2014–15/3760-66 दिनांक 5/9/14

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा–I (आई.सी.II), राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक,सचिव/उप सचिव,, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी/मुख्य लेखाधिकारी/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर।
5. नगर पालिका/पंचायत चुनाव शाखा/भण्डार शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर।
6. कम्प्यूटर शाखा/संस्थापन शाखा/लेखा (आन्तरिक जॉच) शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
7. गार्ड फाईल।

26/8

(कोमल आगरी)
मुख्य लेखाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

Office of District Election Officer............

STATEMENT OF Monthly DETAILED EXPENDITURE ON ....

Budget Head .... Month ....

S.NO.	BILL No. & DATE	T.V. No.	DATE	HONOURERUM	T.A.	P.O.L./HIRE CHARGES	STATIONERY	VIDEO GRAPGHY	REFRESHMENT	POSTAGE TELEPHONE & FAX	MISC. EXPENSES	BELLOT BOX REPAIR	OUTRIGHT PAYMENT	TENT/BERICATING/ ELECTRICAL EXP.	STRONG ROOM	VOTER LIST PREPARATION EXPENDITURE	BELLOT PEPAR PRINTING	POLLING MATERIAL	RENUMARETION FOR VOTTER LIST	MAN WITH MACHINE	PHOTOSTATE	EXP ON EVM's FLC	EX-GRATIA ON DEATH	TOTAL PAID AMOUNT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
	TOTAL OF THIS MONTH																							
	EXPENDITURE UPTO LAST MONTH																							
	TOTAL EXPENDITURE																							
	BUDGET ALLOTTED BY SEC																							
	BALANCE AVAILBLE																							

Signature of DEO